

—यायालय उपजिलाधिका री हिपण्ड राह वा राणती

वाद लेखा १९ सन् २०१० ई

पवित्र एजेंसी टस्ट बनाम सरकार

५०४ ग्रन्थालय काशी विश्वविद्यालय
ग्रन्थालय काशी विश्वविद्यालय

अन्तमत धारा 143 जो कि एवं मूर्मि व्यवस्थाओं की
सौजन्य-प्रबोधन प्रणाला के बहुमत

मा बा- म्बासर परगना कौलबत्ता

तहसील-पिण्डरा जिला वाराणसी

अदेश

प्रस्तुत वाद पर्वाचिल रजकेशन दृष्ट भवन सैंचया एन ।/64-23 नगबा
लंका शहर वाराणसी बजरियें वेयर मैन ढाठ०चन्द्रिका राय पत्र का लिंका राय
निवासी भवन सैंचया एन ।/64 -23 तगबा लंका शहर वाराणसी ढारा इस
आशय के साथ प्रस्तुत किया गया कि आ० न० 625 रक्षा ।.088 है० इथि
मौजा गजोस्तर परगना कौलब्बत्ता तहसील पिण्डरा चिला वाराणसी के तैर्पूर्ण
क्षेत्रफल में बनारस इन्डस्ट्रीटदृष्ट आफ पालिटेक्निक एवं इंजिनियरिंग कालेज
का भवन निर्माण कार्य आरम्भ है उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं होती
है । यह कि आ० न० 625 रक्षा ।.088 है० भूमिका अकृषिक भूमिका वावादी
घोषित करते हुए लगान माफ करने की प्रार्थना किया गया है।

उपरोक्त के परिषेक्षण में तहसीलदार पिण्डरा, वाराणसी से आरुया प्राप्त की गयी। तहसीलदार पिण्डरा वाराणसी की आरुया दिनांक 23-2-10 के अवलोकन से स्टॉचट हैंडि आठ नं० 625 रकमा 1.088 हैं। स्थित छौड़ा गजेल्सर परगना के लम्सला तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी प्राद्युम्न के नाम से अंकित है। उक्त आराजी में खेती का कार्य नहीं होता है तभी कालेज का भवन निर्माण आरम्भ है, उक्त आराजी आवादी का स्वरूप धारा कर देते।

प्राथीं की ओर से उद्धरण सतौनी वर्ष 1408-1413 फ़त्ती के साता से 323 स्थित मोजा गजोसर परमना कोलअसला तहसील पिण्डरा जिता वा राणी दास्ति किया है इसके अतिरिक्त राठो निं० का मौखिक साक्षय अंकित कराया गया है।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में वादी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस को सविस्तार सुना। तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्षयों का विधि सम्यक परिशीलन किया। पत्रावली छपर उपलब्ध तहसीलदार पिण्डरा वाराणसी की आस्त्या से टप्पट है कि आठ० न० 625 रुक्बा । ०८८ है० स्थित मौजागजोखर परगना कोलअक्ता तहसील पिण्डरा जिला वाराणसी आवादी का स्वरूप था रण कर चुका है। कृषिक उपयोग में नहीं है ऐसी दशा में आठ० न० 625 रुक्बा । ०८८ है० भूमि को अकृषिक घोषित किये जाने में कोई वैधानिक अवरोध प्रतीत नहीं होता है।

अतः एतद्वारा आ० न० 625 रक्षा 1.088 हे० स्थित मौजा गजोसर परगना कोलम्बता तहसील पिण्डराजिला वा राष्ट्री को अकृषिक घोषित किया जाता है, आदेश की एक प्रति सब रजिस्टर पिण्डरा वा राष्ट्री को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय, तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। इद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दास्ति दफ्तर हो । ०

ମୁଦ୍ରଣ କାର୍ଯ୍ୟ

• amby

(8/3/16)

१० जी० सी० रा० ३०

ਉਪਜਿਲਾ ਧਿਕਾ ਰੀ ਹੁਣਿਣਡ ਰਾਂ
ਵਾ ਰਾਣਸੀ ।